

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/8677 /

जबलपुर, दिनांक 10 / 12 / 2024

श्री राशिद खान, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दि. 01.07.2024 से 14.08.2024 तक 45 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया एवं श्रीमती गीता प्रमोद, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 29.07.2024 के 31.08.2024 तक 34 दिन के निरन्तरता में दिनांक 01.09.2024 से 02.09.2024 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/8678 /

जबलपुर, दिनांक 10 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/1563 इंदौर दिनांक 25.09.2024 एवं ज्ञापन क्रमांक स्थापना/अवकाश/2682 इंदौर दिनांक 18.09.2024 के संदर्भ में श्री राशिद खान, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एवं श्रीमती गीता प्रमोद, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र संलग्न सहपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.